भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2388
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार

2388. श्री गोपाल जी ठाकुर: श्री जनार्दन मिश्र: श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा युवाओं की रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना अनुमोदित की गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाई जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य स्व या वैतनिक रोजगार अपनाने के लिए भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने और शिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग-लीडर्स-नीत में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को संबोधित करने वाली भावी तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स इत्यादि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और मानकों की स्थापना करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग मान्यता प्राप्त करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) और नियोजनीयता कौशल भी शामिल हैं।

vii. डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग सम्बद्धता सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (तत्कालीन क्वेस्ट एलायंस), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

ix. एनएपीएस के तहत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्धता को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन दस देशों अर्थात ब्रिटेन; फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

कौशल विकास की सभी स्कीमें और संबंधित क्षेत्र में पहल मध्य प्रदेश के जंजातीय क्षेत्रों और खरगोन जिले सहित देश के सभी राज्यों या क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

*****